भू-राजस्व संहित की धारा 240(3) के अन्तर्गत बने कटाई के नियम 1964

अधि. क्र. 5262-3472 सात-ना-नियम-दि. 28 सितम्बर, 1964 द्वारा राज्य शासन ने धारा 240 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम बनाये हैं -

नियम

1. इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "संहिता" से तात्पर्य मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20, वर्ष 1959) से है।

(ख) "वन" से तात्पर्य राजस्व विभाग के प्रबन्ध के अधीन संरक्षित अथवा आरक्षित वनों के अतिरिक्त शासकीय वन से है।

2. वन का प्रबन्ध, ग्राम के पटेल द्वारा ग्राम के पटवारी तथा कोटवार की सहायता से राजस्व निरीक्षक तथा राजस्व पदाधिकारियों के पर्यवेक्षण के अधीन किया जायेगा।

3. वन से पूरी की जाने वाली निस्तार आवश्यकता तथा कटाई की संहिता की धारा 234 के अनुसार तथा ऐसे निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, विनियमित किया जायेगा जिन्हें कलेक्टर ऐसे वनों के परिरक्षण के हित में अधिरोपित करें।

4. कलेक्टर ऐसे प्रभारों को देनगी पर जो कि उसके द्वारा खण्डीय वन पदाधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) के परामर्श से नियत किये जायेंगे, ग्राम के किसी भी निवासी को उसकी निस्तार आवश्यकताओं के अतिरिक्त, किसी वन पैदावार को काटने तथा ले जाने की अनुज्ञा दे सकेगा। एक बार नियत किये प्रभार तीन वर्ष तक प्रवृत्त रहेंगे।

5. लाख, हर्रा, रूसा तेल, गोंद, इमारती लकड़ी तथा वाणिज्यिक मूल्य की अन्य पैदावार, जिन पर उपयोग के अधिकार नहीं दिये गये हों, के विक्रय की रीति, कलेक्टर द्वारा वन मण्डलाधिकारी के परामर्श से अवधारित की जायेगी। वन पैदावार की, उसे पास में लगे संरक्षित या आरक्षित वनों की उपज सहित खण्डीय वन पदाधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) द्वारा नीलाम किया जा सकेगा। जब यह व्यवस्था सम्भव या उपयुक्त न हों, तो ये कलेक्टर द्वारा पृथक् से नीलाम की जा सकेगी।

6. यदि आरक्षित/संरक्षित वन उपज तथा राजस्व विभाग के अधीन वन की पैदावार का पट्टे द्वारा विक्रय किया गया हो, तो पट्टा विलेख खण्डीय वन पदाधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) द्वारा हस्ताक्षरित होगा। यदि वन पैदावार को अलग से विक्रय किया गया हो तो पट्टा विलेख कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

7. ऐसे विक्रयों से प्राप्त समस्त धन शासकीय लेखे में राजस्व के अधीन आकलित किया जायेगा। उन मामलों में जहाँ वन तथा राजस्व विभागों के अधीन, वन उपज या पैदावार का एकल पट्टा दिया गया हो, वहाँ वन तथा राजस्व विभाग के पट्टा धन के अंशों को खण्डीय वन पदाधिकारी (वन मण्डलाधिकारी) तथा कलेक्टर द्वारा परस्पर अवधारित किया जायेगा, जो प्रत्येक विभाग के प्रबन्ध के अधीन वन क्षेत्र के अनुपात में होगा।

8. वन का समायोजन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् -

(क)(एक) ऐसा कोई वृक्ष नहीं काटा जायेगा, जिसकी परिधि छाती ऊँचाई पर 22.5 से.मी. तक हो।

(दो) समस्त वृक्ष यावत्सम्भव भूमि की सतह के निकट काटे जायेंगे।

(तीन) किसी भी वृक्ष की, न तो चिरान की जायेगी और न उन्हें कृत स्कन्ध (Pollard) किया जायेगा।

(ख) वृक्षों की जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

(ग)(एक) दो वर्ष सेकम के किसी बाँस प्ररोहों (बाँस भिड़ों) को काटकर गिराया नहीं जायेगा।

(दो) बाँस जमीन से एक फुट की ऊँचाई (पहले पौरे के ऊपर) से अधिक पर नहीं काटा जायेगा।

(तीन) ऐसे बाँस भिड़े में जिसमें दस के कम बाँस हो कटाई नहीं की जायेगी।

(घ) निस्तार पत्रक के अनुसार काटी या कटाई जाने वाली वन उपज के अतिरिक्त कोई भी वन उपज कलेक्टर की मन्जूरी के बिना काटी या ले जायी नहीं जावेगी।

(ङ) सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच कोई वनोपज नहीं ले जायी जायेगी।

(च) भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन बनाये मध्यप्रदेश ट्रान्जिट (फारेस्ट प्रोडयूज) रूल, 2000 तथा मध्यप्रदेश संक्रमण (वन उपज) नियम, 1961 द्वारा अधिरोपित नियम द्वारा निबन्धन वन उपज को ले जाने पर लागू होगा।

9. पटेल, पटवारी, कोटवार, राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व अधिकारी वनों से ले जाई गई वनोपज का परीक्षण कर सकेगा।

10. (1) कोई भी व्यक्ति, वन के किसी भी भाग में आग नही लगायेगा तथा कोई भी व्यक्ति वन के सामीप्य में आग नहीं लगायेगा, जिससे कि उसमें पड़ी हुई किसी इमारती लकड़ी या उसके किसी भी वृक्ष को नुकसान पहुँचे।

(2) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जो वन में किसी अधिकार का प्रयोग कर रहा हो, या जिसे वन से अपनी निस्तार आवश्यकताएँ पूरी करने या उसमें पशु चराने के लिये अनुज्ञा दी गई हो, यह कर्त्तव्य होगा कि वह वन में या उसके सामीप्य में आग लगाने की घटना उसकी जानकारी में आये तो वह निकटतम पटेल, पटवारी, या कलेक्टर को तत्क्षण सूचना दे और ऊपर नामांकित ग्राम पदाधिकारियों द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षित किय जाये या नहीं -

(एक) ऐसी आग को बुझाने के लिये।

(दो) अपनी शक्ति के भीतर सभी वैध उपायों द्वारा ऐसे वन के सामीप्य में लगी ऐसी आग को वन में न फैलने देने के लिए ऐसे कदम उठायें।

11. जब किसी राजस्व अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि इन नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कोई वृक्ष काटा गया है, या वन से वनोपज या वन पैदावार ले जाई गई है, जो राजस्व अधिकारियों के आदेशों द्वारा या अधीन ऐसे वृक्ष, या वनोपज या वन पैदावार का अभिग्रहण किया जा सकेगा, जहाँ राजस्व पदाधिकारी, उप-खण्डीय पदाधिकारी को छोड़कर कोई अन्य पदाधिकारी हो, पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट, उप-खण्डीय पदाधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) को ऐसी कार्यवाही के लिये जो कि संहिता की धारा 253 के अधीन उचित समझे, की जायेगी।

धारा 241. शासकीय वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय :

1. यदि राज्य शासन का यह समाधान हो जाये, कि किसी शासकीय वन से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने की दृष्टि से, लोकहित में यह आवश्यक है कि ऐसे वनों के पार्श्ववर्ती किसी भी क्षेत्र में समाविष्ट गाँवों में, इमारती लकड़ी को गिराने तथा हटाने का विनियमन किया जाये तो राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को इस धारा के प्रयोजनों के लिये अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश अधिसूचित क्षेत्र में समाविष्ट समस्त गाँवों में विहित रीति में उद्घोषित किया जायेगा।

(3) धारा 169 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब उपधारा (2) के अधीन किसी भी गांव में आदेश उद्घोषित किया जा चुका हो, कोई भी व्यक्ति, विक्रय के किसी व्यवहार के अनुसरण में या व्यापार अथवा कारोबार के प्रयोजनों के लिये, इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार के अतिरिक्त, न तो ऐसे गाँव के किसी खाते में के किसी इमारती वृक्ष को काटकर गिरायेगा और न किसी वृक्ष के बलेवर को किसी ऐसे खातों से हटायेगा।

[1](4) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (3) के या उसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम के उपबन्धों का उल्लंघन करे या उल्लघंन करने की चेष्टा करे अथवा उल्लंघन को अभिप्रेरित करे उसके विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालें बिना, सबडिविजनल आफिसर के लिखित आदेश पर ऐसी शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा, जो पांच हजार रु. (5000/-) अधिक न हो, जो उसके द्वारा आरोपित की जाये, और सबडिवीजनल ऑफिसर इस उपधारा के उपबन्धों के उल्लंघन में काटकर गिराये गये इमारती लकड़ी के किन्हीं भी वृक्षों की जप्ती का भी आदेश दे सकेगा।

(5) उपधारा (3) तथा (4) की कोई भी बात, किसी भी व्यक्ति द्वारा, अपनी भूमि से अपने वास्तविक कृषि सम्बन्धी या घरेलू प्रयोजनों के लिये, एक वर्ष में 2 घ.मी. तक इमारती लकड़ी के वृक्ष काटकर गिराने या हटाने से लागू नहीं होगी, यदि काटकर ऐसा गिराया जाना या हटाया जाना अन्यथा इस संहिता के अन्य उपबन्धों के अनुसार हो।

1. म.प्र. अधि. 19 वर्ष 2001 जो म.प्र. राजपत्र भाग 4 ग दि. 27.9.01 को प्रकाशित।

अधिसूचना क्रमांक		अधिसूचित क्षेत्र (तहसील) (तहसीलों के कुछ गाँव
(1)	3032/सात/ना/2 दि. 19.4.61	मुलताई, भैसदेही और बैतूल तहसीलों के कुछ ग्राम।
(2)	3379/1591/सात/ना/2 दि. 16.5.61	देवास, कन्नौद, सोनकच्छ, बागली, खातेगाँव
(3)	3383/1591/सात/ना/2, 16.5.61 6649/3496/सात/20.10.61	होशंगाबाद, सोहागपुर, हरदा, सिवनी मालवा
(4)	5635/2450/सात/ना/2 दि. 7.8.61	सिहोरा, पाटन तहसील के गुछ गाँव
(5)	5748/5048/सात/ना/2 दि. 10.8.61	खुरई तहसील के कुछ गाँव
(6)	542/4210/सात/ना/2 दि. 12.2.62	मण्डला, डिंडोरी, निवास के कुछ गाँव
(7)	6234/3688/सात/ना/2 दि. 12.11.62	नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा
(8)	6236/1519/सात/ना/2 दि. 12.11.62	छिन्दवाड़ा, अमरवाड़ा, सौंसर
(9)	5353/4511/सात/ना/2 दि. 12.11.62	महेश्वर, बड़वाह, कसराबद, भीकनगाँव, राजपुर, खरगौन, सेन्धवा
(10)	6459/4319/सात/ना/2 दि. 26.11.62	पवई
(11)	6639/3990/सात/ना/2 दि. 1.12.62	भोपाल, (हुजूर), बेरसिया, इछावर, नसरूल्लागंज, आष्टा, सीहोर, बुधनी तहसीलों के कुछ ग्राम
(12)	345/5558/सात/ना/2 दि. 9.1.63	निवाली, जतारा, टीकमगढ़ तहसीलों के कुछ ग्राम
(13)	7199/5295/सात/ना/2 दि. 28.12.62	मनासा, भानपुरा, रतलाम, सैलाना के कुछ ग्राम
(14)	1009/218/सात/ना/2 दि. 16.1.63	जबलपुर तहसील के कुछ गाँव
(15)	380/64/सात/ना/2 दि. 28.1.63	सागर, बन्डा, रुहेली के कुछ गाँव
(16)	497/158/सात/ना/2 दि. 4.2.63	गोपद वनास, देवसर, सिंगरौली के कुछ गाँव
(17)	1285/217/सात/ना/2 दि. 27.2.73	अनुक्रमांक (6) मण्डला, डिंडोरी निवास तहसील के और गाँव
(18)	2585/217/सात/ना/2 दि. 27.2.73	खण्डवा, बुरहानपुर, हरसूद तहसील के और गाँव
(19)	2536/2018/सात/ना/2 दि. 27.4.63	सिवनी, लखनादोन के कुछ गाँव
(20)	3746/507/सात/ना/2 दि. 6.4.64	मैहर तहसील के कुछ गाँव
(21)	3951/1496/सात/ना/2 दि. 17.4.64	मुरवारा तहसील के कुछ गाँव
(22)	4135/2043/सात/ना/2 दि. 30.4.64	वृन्दा नवागढ़ तहसील के कुछ गाँव
(23)	7067/5598/सात/ना/2 दि. 24.12.63	बीजाराव, छतरपुर तहसील के कुछ गाँव
(24)	1178/7000/सात/ना/2 दि. 13.2.64	हट्टा तहसील के कुछ गाँव
(25)	8645/5652/सात/ना/2 दि. 18.11.64	सीधी जिले की देवसर तहसील तथा सिंगरौली सहसील के कुछ गाँव
(26)	8941/5606/सात/ना/2 दि. 4.12.64	दतिया तथा सेवड़ा तहसील के कुछ ग्राम
(27)	8943/5606/सात/ना/2 दि. 4.12.64	शिवपुरी, कोलारस, करेरा, पोहरी तहसील के कुछ ग्राम
(28)	213/6220/सात/ना/2 दि.	भिण्ड तथा गोहद तहसील के कुछ ग्राम
(29)	470/256/सात/ना/2 दि. 30.1.65	सेमरी, पाल, बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़
(30)	3880/1013/सात/ना/2 दि. 15.7.65	सागर, रहली, बण्डा तहसील के और ग्राम
(31)	4048/2245/सात/ना/2 दि. 29.7.65	थांदला, जोबट, अलीराजपुर झाबुआ तहसील के कुछ ग्राम
(32)	7296/7152/सात/ना/2 दि. 5.10.66	रीवा जिले की त्योथर, सिरमौर, मउगांज, हुजूर तहसील बैतूल, मुलताई, भैसदेही तहसील के और ग्राम
(33)	1234/सात/ना/2 दि. 17.7.69	बालौद बालाघाट, बैहर तहसीलों के और ग्राम जोड़े गये
(34)	3242/1121/सी/एन/2(1) दि. 21.7.69	बालाघाट बैहर तहसीलों के और गाँव
(35)	1818/4380/सात/एन/एक	देपालपुर, इन्दौर, मऊ तहसील के कुछ ग्राम

नोट - इस धारा में इमारती लकड़ी के वृक्ष दिये हैं उपका तात्पर्य संहित की धारा 2(र) में दिये इमारती लकड़ी के वृक्ष से है। वे निम्न हैं -

(1) सागवान (2) बीजा (3) शीशम (4) साल (5) साज (6) तिनसा (7) चन्दन।